

भारत सरकार  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1303 जिसका उत्तर  
शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024/20 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

जल आधारित परिवहन प्रणाली

†1303. श्री रमेश बिधूड़ी :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने माल परिवहन (कार्गो शिपमेंट) आदि के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कोई कदम उठाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जल आधारित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी, हां। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास के लिए 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्गों (5 मौजूदा रा.ज. तथा नए 106 सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। जलमार्गों के संबंध में पूरी की गई अध्ययन रिपोर्टों के परिणाम के आधार पर 26 व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गई है तथा विभिन्न राज्यों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौचालन के लिए विकास कार्य शुरू किए गए हैं जिसका ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

अनुबंध-1

विकास कार्य हेतु 26 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	रा.ज.	जलमार्गों का ब्यौरा	लंबाई (कि.मी.)	राज्य	स्थिति
1.	रा.ज. 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	1620	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक से जलमार्ग विकास परियोजना से प्राप्त सहायता से विकास कार्य शुरू किए गए
2.	रा.ज. 2	ब्रह्मपुत्र नदी (दुबरी-सादिया)	891	असम	वित्त वर्ष 2020- 21 से 2024-25 तक के लिए अनुमोदित (एसएफसी) के अनुसार विकास कार्य शुरू किए गए।  अधिकांशतः प्रचालनात्मक जलमार्ग तथा डीआईबी द्वारा अनुमोदित चरण-1 के तहत विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
3.	रा.ज. 16	बराक नदी (लखीपुर-टुकर ग्राम)	121	असम	
4.	रा.ज. 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	205	केरल	
5.	रा.ज. 4	कृष्णा नदी (विजयवाड़ा-मुक्तयाला)	82	आंध्र प्रदेश	
6.	रा.ज. 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल होते हुए धमरा- पारादीप	233	ओडिशा	
7.	रा.ज. 8	अलप्पुझा -चंगनसरी नहर	29	केरल	
8.	रा.ज. 9	अलप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमप्पुझा नहर	40	केरल (वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.)	
9.	रा.ज. 27	कंबरजुआ नदी (कोर्टालिम-फेरी से साओ मार्शियस विधान परिषद)	17	गोवा	
10.	रा.ज. 68	माण्डवी नदी (उसगांव त्रिज से अरब सागर)	41	गोवा	
11.	रा.ज. 111	जुआरी नदी (सैनवोर्डेन त्रिज से मुरगांव पत्तन)	50	गोवा	
12.	रा.ज. 86	रूपनारायण नदी (प्रतापपुर से जियोनखाली)	72	पश्चिम बंगाल	
13.	रा.ज. 97	सुंदरबन जलमार्ग (नामखाना से अथाराबंकी खाल)	172	पश्चिम बंगाल	

14.	रा.ज. 40	घाघरा नदी (फैजाबाद से मांझी घाट)	345	बिहार और उत्तर प्रदेश	वर्ष 2030 तक विकास के लिए अधिकांशतः प्रचालनात्मक जलमार्ग
15.	रा.ज. 52	काली नदी (कडसल्ली बांध से सदाशिवगढ़ ब्रिज, अरब सागर)	53	कर्नाटक	
16.	रा.ज. 44	इच्छामती नदी (गोबरा के ब्रिज से बांग्लादेश सीमा के निकट बांसझारी)	63	पश्चिम बंगाल	
17.	रा.ज. 57	कोपिली नदी (बनठई गांव तिनाली बस स्टॉप से चंद्रपुर संख्या-2 पर ब्रह्मपुत्र के संगम स्थल तक)	50	असम	
18.	रा.ज. 31	धनसीरी नदी (मोरोंगी टी.ई. गांव के पुल से नुमलीगढ़ तक)	110	असम	
19.	रा.ज. 10	अंबा नदी (अरब सागर, धर्मतार क्रीक से नागोठाणे एसटी स्टैंड)	45	महाराष्ट्र	
20.	रा.ज. 28	दाभोल क्रीक वशिष्ठी नदी (दाभोल में अरब सागर से पेढे के पुल तक)	45	महाराष्ट्र	
21.	रा.ज. 25	चपौरा नदी (मनेरी गांव के निकट ब्रिज से मोरजिम, अरब सागर)	25	गोवा	
22.	रा.ज. 37	गंडक नदी (भैसालोटल बराज से हाजीपुर)	296	बिहार और उत्तर प्रदेश	
23.	रा.ज. 73	नर्मदा नदी (पंढरिया से खंभात की खाड़ी तक)	226	महाराष्ट्र और गुजरात	
24.	रा.ज. 85	रेवदांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली (रेवदांडा में अरब सागर से रोहा नगर के निकट ब्रिज तक)	31	महाराष्ट्र	
25.	रा.ज. 94	सोन नदी (सोन बराज डेहरी से गंगा के संगम स्थल तक)	141	बिहार	
26.	रा.ज. 100	तापी नदी (हटनूर डैम से खंभात की खाड़ी तक)	436	महाराष्ट्र और गुजरात	

**जल आधारित परिवहन प्रणाली की वृद्धि के लिए उठाए गए कदम**

**1. राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात की वृद्धि के लिए पहलें:**

**i. फेयरवे विकास कार्य:**

जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत रा.ज.-1 पर हल्दिया-बाढ़ जलखंड में 3.0 मीटर, बाढ़-गाजीपुर जलखंड में 2.5 मीटर और गाजीपुर-वाराणसी जलखंड में 2.2 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) सुनिश्चित करने के लिए फेयरवे विकास कार्य को विश्व बैंक के तकनीकी और वित्तीय सहायता से आईडब्ल्यूआई द्वारा चलाया गया है। इसी प्रकार, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग से होकर रा.ज.-1 और रा.ज.-2/रा.ज.-16 के बीच संपर्कता में सुधार करने के लिए, आईबीपी मार्ग सं.1 और 2 पर सिराजगंज और दाईखोवा तथा बांग्लादेश में आईबीपी मार्ग सं.3 एवं 4 पर आशुगंज और जाकीगंज के बीच महत्वपूर्ण और उथले जलखंडों को पूरे वर्ष नौचालन योग्य बनाए रखने (2.5 मीटर की लक्षित एलएडी के साथ) के लिए भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में जलयानों के सुगम नौचालन के लिए सुंदरबन में रा.ज.-97 पर फेयरवे विकास कार्य किए जा रहे हैं।

**ii. नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास-**

परिवहन के उद्देश्य से जलमार्गों को नौचालन योग्य बनाने के लिए तकनीकी मध्यवर्ती कार्य शुरू करने हेतु तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के माध्यम से आईडब्ल्यूआई ने 25 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चिन्हित किया है।

**iii. विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में शुरू की गई रो-रो/ रो पैक्स सेवा-**

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी, 2021 के दौरान निम्नलिखित मार्गों के लिए रो-रो/रो-पैक्स जलयानों के प्रचालन का उद्घाटन किया गया:

जलयान का नाम	निम्न के बीच रो-रो/ रो पैक्स सेवा	माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन की तारीख
एम वी रानी गाइदिन्ल्यू और एम वी सचिन देव बर्मन	नेमाती और कमलाबारी (माजुली)	18.02.2021
एम वी जेएफआर जैकब	गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी	18.02.2021
एम वी बॉब खाथिंग	धुबरी और फकीरगंज (यू/एस हतसिंगमारी)	18.02.2021
एम वी आदि शंकरा और एम वी सी. वी. रमन	वेलिंगडन द्वीप और बोलघाटी	14.02.2021

**iv. प्रभारित कर में संशोधन और शुल्क का संग्रहण:**

अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक पूरक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने संबंधी भारत सरकार के विजन को आगे बढ़ाते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू में तीन वर्षों की अवधि के लिए जलमार्ग प्रयोक्ता प्रभारों में छूट दी है।

## **2. ईज-ऑफ-ड्रइंग बिजनेस हेतु डिजिटल समाधान:**

- **कार-डी (कार्गो डाटा) पोर्टल:** कार-डी हितधारकों के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के सभी कार्गो और क्रूज आवागमन डाटा को संग्रहण एवं समेकन, विश्लेषण और प्रसार हेतु एक वेब आधारित पोर्टल है।
- **पानी (पीएएनआई) (परिसंपत्ति एवं नौचालन सूचना संबंधी पोर्टल) :** पानी (पीएएनआई) एक समेकित समाधान है, जो कि नदी नौचालन और अवसंरचना सूचना को एकल प्लेटफार्म पर प्रस्तुत करता है।

यह राष्ट्रीय जलमार्गों की विभिन्न विशेषताओं और परिसंपत्तियों, जैसे फेयरवे, अवसंरचना सुविधाओं, नदी पर बनी संरचनाओं, जेट्टियों पर संपर्कता, कार्गो के परिवहन को सुगम बनाने के लिए आपात सुविधाओं आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करता है।

ये समाधान, विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाते हैं, संगठनात्मक एकरूपता में सुधार करते हैं, संसाधनों की दक्षता में वृद्धि करते हैं, प्रत्येक हितधारक के स्वामित्व और उत्तरदायित्व को बढ़ाते हैं, जिससे कार्यकलापों के प्रबंधन में सुधार होता है। इस क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्यों पर सार्वजनिक पहुंच होने से आईडब्ल्यूआई की बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस सेक्टर में भरोसा बढ़ेगा।

## **3. आईडब्ल्यूटी माध्यम का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि:**

**क. पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के नए प्रवेश पत्तनों और मार्गों का संवर्धन:** भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के अंतर्गत मौजूदा 8 मार्गों के अतिरिक्त 2 जलमार्गों को जोड़े जाने/विस्तारित करने के साथ ही दोनों तरफ मौजूदा 6 प्रवेश पत्तनों के अतिरिक्त 7 नए प्रवेश पत्तनों को जोड़े जाने के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए आईडब्ल्यूटी माध्यम की पहुंच में बढ़ोतरी होने और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जलमार्गों में यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

**ख. भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार:** जलमार्गों के माध्यम से होने वाले लाभों जैसे, कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़े आकार के शिपमेंट, भू-मार्गों में भीड़-भाड़ से बचने आदि पर विचार करते हुए भूटान से स्टोन निर्यातकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में चिन्हित किया गया है। आईडब्ल्यूआई के पर्यवेक्षण में पहले आवागमन को जुलाई, 2019 में सफलतापूर्वक

निष्पादित किया गया था। आईडब्ल्यूटी माध्यम का उपयोग करते हुए इस व्यापार के लगातार चलते रहने और आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

#### **4. हितधारकों को अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग करने और राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)**

विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई मानक प्रचालन पद्धतियों (एसओपी) की सूची निम्नानुसार हैं:

i. भारत तक और भारत से सामान के आवागमन के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पत्तनों के प्रयोग के संबंध में बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते की मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)।

ii. बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तटीय तथा प्रोटोकॉल मार्ग पर यात्री एवं कूज सेवाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन की मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)।

iii. बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं ट्रांजिट कार्गो के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन की मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)।

iv. कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार (पीआईडब्ल्यूएंडटी) संबंधी प्रोटोकॉल पर जलयानों के आवागमन के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)।

v. राष्ट्रीय जलमार्गों पर रो-रो/रो-पैक्स जलयान प्रचालनों के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी) और चेकलिस्ट।

vi. कार-डी पोर्टल के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)।

#### **5. हितधारक परामर्श:**

आईडब्ल्यूएआई ने कार्गो को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष-20 में छः अलग-अलग स्थानों (कोलकाता, कोचिन, मुंबई, पटना, गोवा और ढाका) में हितधारक परामर्श और वित्त वर्ष-21 के दौरान 9 और वित्त वर्ष-22 के दौरान 06 सम्मेलन-सह-वेबिनार आयोजित किए।

- वाराणसी में 11-12 नवंबर, 2022 को पीएम गतिशक्ति मल्टीमोडल जलमार्ग संपर्कता समिट आयोजित की गई, जिसमें माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री तथा माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रियों ने भाग लिया था। इस समिट में पीएम गतिशक्ति के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया गया तथा गंगा में 07 सामुदायिक जेट्टियों का उद्घाटन किया गया और 08 सामुदायिक जेट्टियों की आधारशिला रखी गई।
- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में विश्व के सबसे लंबे नदी कूज को हरी झंडी दिखाई गई तथा जलमार्ग विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। गंगा विलास नदी कूज ने दिनांक 28.02.2023 को इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होते हुए ब्रह्मपुत्र पर डिब्रूगढ़ में 3200 कि.मी. की समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरा किया।
- माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 12.6.2023 को अध्यक्ष और सदस्य (तकनीकी), आईडब्ल्यूएआई की उपस्थिति में आईडब्ल्यूएआई धुबरी टर्मिनल पर भारत-बांग्लादेश-भूटान आईडब्ल्यूटी ऑपरेटरों के साथ हितधारकों की बैठक की।
- देश में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए जिससे राज्यों के सक्रिय सहयोग से कार्गो, यात्री आवाजाही और नदी कूज पर्यटन को बढ़ावा मिले, माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की स्थापना की गई जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों, अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विकास हो। आईडब्ल्यूडीसी की पहली बैठक 8 जनवरी 2024 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।

विश्व बैंक समर्थित जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) के तहत हस्तक्षेपों को आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए सतत विकास मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण पर 746 करोड़ रुपये की लागत पर शुरू किए गए, जो नदी के किनारे के सभी पारिस्थितिक तंत्रों पर समग्र रूप से प्रभाव डालेगा, जिससे रा.ज.-1 के किनारों पर रहने वाली आबादी का सामाजिक-आर्थिक उत्थान होगा।

इससे समावेशी वृद्धि होगी और यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से माल और यात्रियों (पर्यटकों सहित) की आवाजाही से लोगों की आजीविका में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

\*\*\*\*\*